कार्यालय निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–प–150 / एनपीएस / टीबी / बीओआई / 2011–12 / 3874–3920 दिनांकः–09.11.11 2011

परिपत्र

समस्त जिला अधिकारी
जिला कार्यालय................

विषयः– एनपीएस के अन्तर्गत ट्रस्टी बैंक के खाता संख्या के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः– पत्र क्रमांक प–135 / एनपीएस / 2010 / 2753–2799 दिनांक 10.10.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बैंक ऑफ इन्डिया जयपुर द्वारा जो बैंक खाता संख्या 660010110003361 एनपीएस ट्रस्टी बैंक के कार्य बाबत सूचित किया गया था। उक्त खाता संख्या में गत छह माह मे कोई भी राशि हस्तांतरित नही होने के कारण बैंक द्वारा स्वतः ही बंद कर दिया गया है।

बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा "Rajasthan State Government NPS Trust A/c" के नाम से नया बैंक खाता खोला गया है। उक्त बैंक खाते से सम्बन्धित जानकारी निम्न हैः–

- खाता संख्या–**012210110003286** (15 digit)
- IFSC code- BKID0000122 (11 digit)
- ट्रस्टी बैंक के सम्पर्क अधिकारी
  श्री अशोक कुमार गुप्ता
  एजीएम, बैंक ऑफ इन्डिया
  बैंक बान्द्राकुर्ला कॉमप्लेक्स ब्रांच, मुम्बई
  फोन– 022-66684404. मोबाइल– 08976258868
  E-mail npsfund@bankofindia.co.in

बैंक द्वारा प्राप्त निर्देशो की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं। पूर्व में सम्पूर्ण प्रक्रिया मैन्युल एंव विभिन्न परिपत्रो के माध्यम से आपको सूचित किया जा चुका हैं। कृपया आप अपने बैंक के अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत चर्चा कर ले एंव संलग्न ट्रस्टी बैंक के निर्देश के बारे में उन्हे जानकारी दे देवे।

माह अक्टुबर 2011 के वेतन बिल में जिन कर्मचारियों के प्रान नम्बर अंकित करते हुए कटौती पत्र प्राप्त हुए हैं, राशि और विवरण का मिलान करते हुए उनकी एससीएफ बनाकर एनएसडीएल के वैब पोर्टल पर अपलोड किया जाये तथा पीडी खाता का टीओ से प्राप्त चैक को अपने खाते में जमा करावें। एनएसडीएल द्वारा जारी उपरोक्त ट्रान्जेक्शन आईडी को अपने पास सुरक्षित रख ले जिसे आरटीजीएस करते वक्त पीएओएफआईएन (6 digit) के साथ जिला अधिकारी का सीआरए द्वारा प्रदत्त डीटीओ रजिस्ट्रेशन नम्बर (7 digit) एंव उपरोक्त ट्रान्जेक्शन आईडी (13 digit) आरटीजीएस फार्म के रिमार्क्स कॉलम में कुल 26 digit अंकित किये जायेगे। इस प्रकार प्रत्येक एससीएफ के लिए अलग ट्रन्जेक्शन आईडी प्राप्त होगी तथा राशि उसी प्रकार सम्बन्धित आईडी रिमार्क्स कॉलम में डालते हुए स्थानान्तरित की जायेगी। उक्त प्रक्रिया निम्न उदाहरण से समझी जा सकती हैः–

जिले का नाम – नागौर
डीटोओ रजिस्ट्रेशन नम्बर– 4011486
ट्रान्जेक्शन आईडी 0123456789123

रिर्माक्स	P	A	O	F	I	N	4	0	1	1	4	8	6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3

यहाँ यह उचित होगा कि ट्रान्जेक्शन की संख्या कम से कम रखी जाए, ताकि नम्बर अंकित करने में कोई कठिनाई अथवा त्रुटि न हो।

विशेष ध्यान देने योग्य बातेः–

1. एससीएफ में दर्शायी गयी राशि को ही आरटीजीएस फार्म मे अंकित किया जाना हैं।
2. ट्रान्जेक्शन आईडी और उससे संबन्धित एससीएफ की राशि बैंक के फार्म में अंकित करने हेतु नियमित रूप से रजिस्टर संधारित किया जाये।
3. कोषाधिकारी से प्राप्त राज्य कर्मचारियों से संबन्धित चैक को जिला स्तरीय बैंक खाते में जमा करवाया जाए।
4. उप निदेशक एनपीएस के नाम से कोषाधिकारी से प्राप्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से सम्बन्धित चैक एसबीबीजे खाता संख्या 611303113884 में कटौतियों के विवरण की सीडी सहित जमा करवाया जायेगा।

9.11.11
अतिरिक्त निदेशक
पीएफ / एनपीएस

क्रमांकः–प–150 / एनपीएस / टीबी / बीओआई / 2011–12 / 3874–3920 दिनांकः–09.11.2011

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक को प्रस्तुत है।

संयुक्त निदेशक
पीएफ / एनपीएस

ADI (NPS)

2501

to - 4 NOV 2011

NPS 8-11

Send to all district officers.

दूरभाष : 2740239
फैक्स : 2742309

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान
ए–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

551 8/11/11

क्रमांकः एफ.5(थ–18)कोष/पेंशन/NPS/ दिनांक

कोषाधिकारी, समस्त
तथा
भुगतान एवं लेखाधिकारी,
बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़,
जयपुर

विषयः– **नवीन अंशदायी पेंशन योजना की कटौती के संबंध में**

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि नवीन अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्रांकः प.8(4)वि.मा./2011 दिनांक 11.10.2011 द्वारा जारी ब्याज रहित पी.डी.खाता खोलने की स्वीकृति तथा वित्त (राजस्व) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.4(8) वित्त/राजस्व/05 पार्ट लूज दिनांक 12.10.2011 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के तहत निम्नानुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:–

1. उक्त योजना के नाम से खोले जाने वाले पी.डी.खातों में एकरूपता हेतु समस्त कोषालयों में पी.डी.खाता संख्या 479 खोला जाना है।
2. राज्य सरकार के कर्मचारियों की कटौती बजट मद 8011–00–106–03–01 में की जावेगी जिसके लिए एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) में नई पे–आई.डी. बनाई जा रही है।
3. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कटौती बजट मद 8342–00–117–01–00 में की जावेगी जिसके लिए एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) में नई पे–आई.डी. बनाई जा रही है।
4. उक्त मद 8011 एवं 8342 में प्राप्त कटौतियों का बीमा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा मिलान कर लिए जाने के बाद अलग–अलग कुल राशि बजट मद 8443–00–106–00–00 में खोले गए पी.डी.खाता संख्या 479 में स्थानान्तरित की जावेगी।
5. एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) में बुक ट्रांजक्शन की प्रविष्टि सीधे वाऊचर एन्ट्री में होगी बुक ट्रांसफर हेतु राशि हस्तान्तरण आदेश निकालना होगा, जो वाऊचर एन्ट्री के बाद वाऊचर बन जायेगा जिस पर एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) द्वारा प्रदत्त टी.वी.नं. अंकित किया जावेगा।
6. कोषाधिकारी पी.डी.खाता संख्या 479 से दो चैक आहरित कर बीमा विभाग के जिला अधिकारी को भिजवायेगें:–

(1) प्रथम चैक राज्य कर्मचारी/जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के कर्मचारियों की कटौती का होगा जो बीमा जिला अधिकारी के पदनाम से बनाया जायेगा।

–2–

(2) द्वितीय चैक जिले में पदस्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की कटौती राशि का होगा जो उप निदेशक एन.पी.एस. जयपुर के नाम होगा।

7. उपरोक्त प्रक्रिया दिनांक 08.11.2011 से टोकन होने वाले एन.पी.एस. कटौती प्रभावित वेतन बिलों को नवीन प्रक्रिया अनुसार पारित करें एवं पारित शुदा बिल सम्बन्धित डी.डी.ओ. को दिनांक 10.11.2011 को मध्यान्ह पश्चात् ही देना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे बिल का भुगतान बैंक से दिनांक 11.11.2011 से पूर्व आहरित न कर सके।

भवदीय,

निदेशक

क्रमांकः एफ.5(थ–18)कोष/पेंशन/NPS/ 18559- 88 दिनांक 2.11.11

प्रतिलिपिः– प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी.बी–ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है।

निदेशक

कार्यालय निदेशक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—प—150/एनपीएस/टीबी/बीओआई/2011—12/3874—3920 दिनांकः—09.11.2011

परिपत्र

समस्त सचिव/प्रशासक/
स्वायत्तशाषी संस्थाऐं/बोंड/निकाय/विश्वविद्यालय/
समिति/आयोग/राजकीय उपक्रमों/संस्थाओं

विषयः— एनपीएस के अन्तर्गत ट्रस्टी बैंक के खाता संख्या के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः— प—133/एनपीएस/एसएबी/527 दिनांक 17.6.2011—20.6.2011,
प—133/एनपीएस/एसएबी/2011/1937 दिनांक 26.8.2011 एंव
प—133/एनपीएस/एसएबी/2011/2953—3452 दिनांक 13.10.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बैंक ऑफ इन्डिया जयपुर द्वारा जो बैंक खाता संख्या 660010110003361 एनपीएस ट्रस्टी बैंक के कार्य बाबत सूचित किया गया था। उक्त खाता संख्या में गत छह माह मे कोई भी राशि हस्तांतरित नही होने के कारण बैंक द्वारा स्वतः ही बंद कर दिया गया है।

बैंक ऑफ इन्डिया द्वारा "Rajasthan State Government NPS Trust A/c" के नाम से नया बैंक खाता खोला गया है। उक्त बैंक खाते से सम्बन्धित जानकारी निम्न हैः—

- खाता संख्या—**012210110003286** (15 digit)
- IFSC code- BKID0000122 (11 digit)
- ट्रस्टी बैंक के सम्पर्क अधिकारी
  श्री अशोक कुमार गुप्ता
  एजीएम, बैंक ऑफ इन्डिया
  बैंक बान्द्राकुर्ला कॉमप्लेक्स ब्रांच, मुम्बई
  फोन— 022-66684404. मोबाइल— 08976258868
  E-mail npsfund@bankofindia.co.in

बैंक द्वारा प्राप्त निर्देशो की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं। पूर्व में सम्पूर्ण प्रक्रिया मैन्युल एंव विभिन्न परिपत्रो के माध्यम से आपको सूचित किया जा चुका हैं। कृपया आप अपने बैंक के अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत चर्चा कर ले एंव संलग्न ट्रस्टी बैंक के निर्देश के बारे में उन्हे जानकारी दे देवे।

माह अक्टुबर 2011 के वेतन बिल में जिन कर्मचारियों के प्रान नम्बर अंकित करते हुए कटोती पत्र प्राप्त हुए हैं, राशि ओर विवरण का मिलान करते हुए उनकी एससीएफ बनाकर एनएसडीएल के वैब पोर्टल पर अपलोड किया जाये तथा पीडी खाता का टीओ से प्राप्त चैक को अपने खाते में जमा करावें। एनएसडीएल द्वारा जारी उपरोक्त ट्रान्जेक्शन आईडी को अपने पास सुरक्षित रख ले जिसे आरटीजीएस करते वक्त पीएओएफआईएन (6 digit) के साथ जिला अधिकारी का सीआरए द्वारा प्रदत्त डीटीओ रजिस्ट्रेशन नम्बर (7 digit) एंव उपरोक्त ट्रान्जेक्शन आईडी (13 digit) आरटीजीएस फार्म के रिमार्क्स कॉलम में कुल 26 digit अंकित किये जायेगे। इस प्रकार प्रत्येक एससीएफ के लिए अलग ट्रन्जेक्शन आईडी प्राप्त होगी तथा राशि उसी

प्राकार सम्बन्धित आईडी रिमार्क्स कॉलम में डालते हुए स्थानान्तरित की जायेगी। उक्त प्रक्रिया निम्न उदाहरण से समझी जा सकती हैः–

जिले का नाम – नागौर
डीटोओ रजिस्ट्रेशन नम्बर– 4011486
ट्रान्जेक्शन आईडी 0123456789123

रिर्माक्स	P	A	O	F	I	N	4	0	1	1	4	8	6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3

यहाँ यह उचित होगा कि ट्रान्जेक्शन की संख्या कम से कम रखी जाए, ताकि नम्बर अंकित करने में कोई कठिनाई अथवा त्रुटि न हो।

विशेष ध्यान देने योग्य बातेः–

1. एससीएफ में दर्शायी गयी राशि को ही आरटीजीएस फार्म मे अंकित किया जाना हैं।
2. ट्रान्जेक्शन आईडी और उससे संबन्धित एससीएफ की राशि बैंक के फार्म में अंकित करने हेतु नियमित रूप से रजिस्टर संधारित किया जाये।
3. कोषाधिकारी से प्राप्त राज्य कर्मचारियों से संबन्धित चैक को जिला स्तरीय बैंक खाते में जमा करवाया जाए।
4. उप निदेशक एनपीएस के नाम से कोषाधिकारी से प्राप्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से सम्बन्धित चैक एसबीबीजे खाता संख्या 611303113884 में कटौतियों के विवरण की सीडी सहित जमा करवाया जायेगा।

11.11.11
अतिरिक्त निदेशक
पीएफ/एनपीएस
राज्य बीमा एंव प्रा0नि0 विभाग
राज0 जयपुर